निविदा सूचना

कु0म0वि0नि0लि0 नैनीताल में पंजीकृत सिविल भवन सम्बन्धी कार्य करने वाले ठेकेदारों से बन्द लिफाफे में निविदा **दिनॉक 08.01.21** को अपरान्हन **1.00** बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन **2.00** बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख गठित समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र **दिनॉक 24.12.20** से **दिनांक** 07.01.21 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क **(जी0एस0टी0 सहित)** जमाकर प्राप्त की जा सकती है। निविदा सम्बन्धी समस्त जानकारी निगम वेबसाईड **www.kmvn.in** एवं किसी भी कार्य दिवस में निगम कार्यालय में देखी जा सकती है, तथा संसोधन भी निगम वेबसाईड के माध्यम से ही किया जायेगा।

क. सं.	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर राशि (रू0)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता	श्रेणी (भवन)
1	कोटभ्रामरी, जिला बागेश्वर में सांस्कृतिक मंच का विकास कार्य।	2360.00	46000.00	06 माह	02 माह	"बी" एवं उच्चतर
2.	रामलीला भवन गरूड़ का सौन्दर्यीकरण।	1770.00	28000.00	04 माह	02 माह	"सी" एवं उच्चतर

शर्तें:– किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय एवं www.kmvn.in में देखी जा सकती है। यदि उपरोक्त पर कोई संसोधन किया जाता है तो उसकी सूचना केवल निगम की वेबसाईड के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी।

निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य है।

1–निविदा केवल निगम में पंजीकृत ठेकदारों को ही विक्रय की जायेगी तथा उनके द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा सम्बन्धित कार्य की धरोहर धनराशि निर्धारित प्रारुप में (एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0/कॉल डिपोजिट के रूप में महाप्रबन्धक, कु0म0वि0नि0 के नाम बन्धक होनी चाहिए) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2–निविदादाता को जी0एस0टी0, आयकर प्रमाण पत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसकी छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

3–निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मय हस्ताक्षरयुक्त रू0 1.00 का रेवेन्यू टिकट के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

4–अपूर्ण, सर्शत एवं संदिग्ध निविदा किसी दशा में मान्य नहीं होगी ।

5–निविदा में मात्रायें घटाई एवं बढ़ाई जा सकती हैं जिसमें ठेकेदार का कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।

6–अनुबन्ध गठन हेतु बुलाये गये समय तथा अनुबन्ध गठन करने के एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया, तो निविदा/अनुबन्ध की धरोहर/जमानत धनराशि नियमानुसार जब्त की जायेगी।

7–अधोहस्ताक्षरकर्ता को एक या एक से अधिक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

8–अनुबन्ध गठित करने पर शासनादेशों के अनुसार स्टाम्प डयूटी लगाना आवश्यक है।

9–निर्माण कार्य की गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण माप के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को हानि भी पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस हानि की धनराशि की वसूली शासनादेश संख्या 983/23–999–11/96 लो.नि.वि. के अनुभाग–9 लखनऊ दिनॉक 12 मई, 1999 के अनुच्छेद (2) निहित प्राविधानों अनुसार की जायेगी।

10–यदि शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा किसी अपरिहार्य कारणवश निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिये जाते हैं तो ठेकेदार को उसी स्थिति में कार्य रोकना पड़ेगा तथा ठेकेदार केवल किये गये कार्य के भुंगतान का दावेदार होगा। शेष कार्य हेतु ठेकेदार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11–निविदा की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदा अगले कार्यदिवस को खोली जायेगी।

12–निविदा की दरें प्रतिशत में ही मान्य होंगी। जो कि अंक एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य है।

13–ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि के रूप में जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि अलग–अलग कार्यों हेतु मूल में अलग–अलग जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

14–उपरोक्त निर्माण कार्य शासन से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ही कराये जायेंगे।

महाप्रबन्धक

कार्यालय कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड, नैनीताल

पत्रांक 2711 /10–नि0/20–21 दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–प्रबन्ध निदेशक, महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

2–सहायक अभियनता, बागेश्वर को शैडूयल 'बी' तैयार करने हेतु प्रेषित।

3–समस्त सहायक अभियन्ता,कु0म0वि0नि0, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़ को व्यापक प्रचार हेतु ।

4–अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि. प्रान्तीय खण्ड, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

5–मुख्यालय नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

6–अनुबन्ध पत्रावली हेतु ।

7–कैशियर निर्माण खण्ड, निविदा विक्रय के समय निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें।

8–कम्प्यूटर कक्ष को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

महाप्रबन्धक